प्रेस नोट **16/11/2024**

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 16.11.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम कमालपुर के पास से मु0अ0सं0 394/24 धारा 87, 137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त विशाल पुत्र राजेन्द्र कसारी खुरहट थाना रानीपुर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत हत्या मामले में 02 दोषसिद्ध अभियुक्त में आजीवन कारावास/10 वर्ष के कारावास व ₹10,000, 5,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 16-11-2024 को मु0अ0सं0 676/2012 के धारा 302,307,506 भादवि थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त सत्यप्रकाश चौहान पुत्र रामआधार चौहान निवासी नुरुल्लाहपुर थाना मधुबन मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹10,000 जुर्माने व अभियुक्त अच्छेलाल चौहान पुत्र रामआधार चौहान निवासी नुरुल्लाहपुर थाना मधुबन मऊ को कारित अपराध के लिए 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं ₹5,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थदंड न अदा करने पर 02/01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा